प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायाधीश राधेश्याम शर्मा न्यायाधीश

दांडिक अपील संख्या 333/2004

दिलीप कुमार गंधर्व

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 24-07-2012 को सूचीबद्ध की जाए।

सही /

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

2012:सीजीएचसी:9106

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायाधीश राधेश्याम शर्मा जे

दांडिक अपील क्रमांक 333/2004

अपीलार्थी दिलीप कुमार गंधर्व, पिता खूबदास गंधर्व,
आयु लगभग25 वर्ष जातिगाडा, निवासी तुमडियाबोर्ड , पुलिस थाना डोंगरगढ़ ;
वर्तमान निवासी आमापारा, दुर्ग, पुलिस थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.) |

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

श्री विष्णु कोष्टा अधिवक्ता , अपीलार्थी के लिए ।

श्री आर. आर. सिन्हा, पैनल अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए।

दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता

निर्णय

(दिनांक 24 जुलाई, 2012 को उद्घोषित)

यह अपील, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 225/2003 में दिनांक 16 मार्च 2004 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। आक्षेपित निर्णय द्वारा,

अभियुक्त/अपीलार्थी दिलीप कुमार गंधर्व को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया है और 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है:-

अभियोक्त्री (अ. साक्षी क्रमांक 1) (भा .द स .) की धारा 228ए की परिधि में , अभियोक्त्री का नाम उल्लेखित नहीं किया जा रहा है) कांकेर में आदिवासी बालिका आश्रम, सिंगारभाट, कांकेर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। परीक्षा के बाद, वह पुराना आमापारा मोहल्ला, दुर्ग में अपने माता-पिता के पास आई थी | उसके माता-पिता मजदूर थे। 10 सितंबर 2003 से 9-10 माह पूर्व, वह घर पर अकेली थी और उसके माता-पिता मजदूरी करने गए हुए थे। अपीलार्थी सुबह लगभग 10 बजे उसके घर में घुसा। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे गिराया और उसके साथ लैंगिक सम्भोग किया । उसने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे मार डालेगा। इसके बाद, वह आदिवासी बालिका आश्रम, सिंगारभाट, कांकेर लौट आई और अपनी पढ़ाई जारी रखी। नवाखाई त्योहार के अवसर पर, वह अपने रिश्तेदार के घर गई थी, जहाँ उसके पेट में दर्द हुआ। उसे 7 सितंबर 2003 को कांकेर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इस घटना की शिकायत प्र. पी-9 के माध्यम से पुलिस थाना कांकेर में की गई थी। तत्पश्चात , उसे चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, रायपुर में भर्ती कराया गया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र . पी-17) पुलिस थाना , मोहन नगर, दुर्ग में दर्ज की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगे की अन्वेषण में, शासकीय प्राथमिक विद्यालय, बालिका आश्रम, कांकेर की अंकसूची (प्र . पी-5) और *दाखिल खारिज पंजी* (प्र . पी-6ए) को प्र . पी-15 और पी-16 के तहत जब्त किया गया।

अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् , अपीलार्थी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने बदले में मामले को सत्र न्यायालय, दुर्ग को उपार्पित कर दिया, जहां से इसे स्थानांतरण पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग द्वारा प्राप्त किया गया, जिन्होंने विचारण किया और अपीलार्थी को उपर उल्लेखित रूप में दोषी ठहराया और दंडित किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु कोष्टा ने तर्क दिया कि घटना के दिनांक को अभियोक्त्री (अ .साक्षी क्रमांक 1) की आयु 16 वर्ष से ऊपर थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष विकृत है। अभियोक्त्री (अ .साक्षी क्रमांक 1) एक सहमत पक्षकार थी। इसलिए, अपीलार्थी को भा.द .स . की धारा 376 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का हकदार है।

4. इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए पैनल अधिवक्ता श्री आर. आर. सिन्हा ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को दिया गया दोषसिद्धि और दंड में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षकारों के विपरीत तर्कों को सुनने के पश्चात , मैंने सत्र प्रकरण क्रमांक 225/2003 के अभिलेख का अवलोकन किया |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अब, मैं परिक्षण करूंगा कि क्या घटना दिनांक को अभियोक्त्री (अ साक्षी क्रमांक 1) की आयु 16 वर्ष से कम थी अथवा नहीं?

7. ***आलमेलु और अन्य बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व, एआईआर 2011 एससी 715 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया कि***:

"38. .... स्थानांतरण प्रमाण पत्र विद्यालय द्वारा जारी किया गया है और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया गया है। अतः , यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य होगा। तथापि , इस तरह के दस्तावेज की ग्राह्यता, उस सामग्री के अभाव में जिसके आधार पर आयु दर्ज की गई थी, लड़की की आयु साबित करने के लिए अधिक सक्ष्यिक मूल्य की नहीं होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं होगा, जब तक कि वह व्यक्ति, जिसने प्रविष्टि की या जिसने जन्म तिथि की की का परिक्षण नहीं किया जाता। ...."

8. ***सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2010) 8 एससीसी 714 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अवधारित किया***:

"20. एक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम, 1872 (एतस्मिन पश्चात् साक्ष्य अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 35 के तहत एक लोक दस्तावेज के रूप में ग्राह्य होता है यदि यह किसी शासकीय अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में तैयार किया गया हो। तथापि , प्रश्न यह उठता है कि उक्त प्रविष्टि की प्रामाणिकता क्या है, क्योंकि किसी दस्तावेज की ग्राह्यता एक बात है और उसकी प्रमाणिकता दूसरी बात है।

28. अतः , इस प्रश्न पर विधि को संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में पदीय अभिलेख में की गई प्रविष्टि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत ग्राह्य है, लेकिन पक्षकार न्यायालय/प्राधिकारी से इसके प्रमाणिक मूल्य का परिक्षण करने के लिए कह सकता है। प्रविष्टि की प्रामाणिकता इस बात पर निर्भर करेगी कि ऐसी प्रविष्टि किसके निर्देश/सूचना पर दर्ज की गई थी और उसकी सूचना का स्रोत क्या था। इस प्रकार, विद्यालय रजिस्टर/प्रमाण पत्र में प्रविष्टि को विधिं के अनुसार साबित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबूत का मानक किसी भी अन्य दीवानी और दांडिक मामले की तरह ही रहता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. ***छत्तीसगढ़ राज्य बनाम लेखराम, (2006) 5 एससीसी 736 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार :***

"विद्यालय में रखा गया एक रजिस्टर, साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में संबंधित व्यक्ति की जन्म तिथि साबित करने के लिए साक्ष्य में ग्राह्य होता है। ऐसी जन्म तिथियां विद्यालय रजिस्टर में प्राधिकारियों द्वारा उनके लोक कर्तव्य के निर्वहन में दर्ज की जाती हैं। यह सत्य हो सकता है कि विद्यालय रजिस्टर में कोई प्रविष्टि निश्चायक नहीं होती, लेकिन इसका साक्षिक मूल्य होता है। विद्यालय रजिस्टर का ऐसा साक्षिक मूल्य इस मामले में मौखिक साक्ष्य द्वारा समर्थित है, जैसा की यह अभियोक्त्री की मां के कथन के आधार पर दर्ज किया गया था।"

10. अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि न्यायालय में अपनी गवाही की तारीख को उसकी आयु 13 वर्ष थी। राजनीबाई (साक्षी क्रमांक 2), अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) की मां ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) की आयु 13 वर्ष थी। उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) कांकेर के एक आश्रम में रह रही थी और वहां अध्ययनरत थी।

11. विपत केमारो (साक्षी क्रमांक 5) ने अभिसाक्ष्य दिया की वह 1995 से अक्टूबर 2003 तक कन्या आश्रम, कांकेर में अधीक्षक के रूप में पदस्थ थी। अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) को जुलाई 2003 में कक्षा VI में प्रवेश दिया गया था। उसने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह वर्ष 1996-1997 का दाखिल खारिज पंजी (प्र . पी-6) लाई थी। अनुक्रमाणिका पर, अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) का नाम दर्ज है और उसमें उसकी जन्म तिथि 10-10-1990 उल्लेखित है। प्रति परीक्षा में, उसने अभिसाक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) को 1 जुलाई 1996 को पहली कक्षा में प्रवेश दिया गया था और पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, वह 14 जुलाई 2003 को विद्यालय छोड़कर गई और आगे जुलाई 2003 में कक्षा VI में प्रवेश लिया गया। प्र . पी-6 में प्रविष्टि उसके द्वारा स्वयं की गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. राजनीबाई (साक्षी क्रमांक 2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) उसकी सबसे बड़ी बेटी है। उसने आगे अभिसाक्ष्य किया है की उसका विवाह कम आयु में हुआ था। अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) से प्रति परीक्षा में उसकी आयु के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया।

13. ***हरपाल सिंह और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, एआईआर 1981 एससी 361 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया की*** :

प्रविष्टि संबंधित अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गई थी, इसलिए यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत स्पष्ट रूप से ग्राह्य है और अभियोजन पक्ष के लिए इसके लिखने वाले की परीक्षा करना आवश्यक नहीं है। हम साक्ष्य को किसी भी दृष्टिकोण से देखें।

14. अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) ने कांकेर में शासकीय प्राथमिक आदिवासी बालिका आश्रम में पढ़ाई की थी। विपत केमारो (साक्षी क्रमांक 5) ने विशेष रूप से शपथपूर्वक कहा कि वह उक्त कन्या आश्रम, कांकेर में अधीक्षक के रूप में पदस्थ थी। उसने स्वयं अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) को पहली कक्षा में प्रवेश दिया था। इस संबंध में प्र . पी-6 में प्रविष्टि उसके द्वारा स्वयं की गई थी। उसने आगे अभिसाक्ष्य दिया की उसने प्र . पी-7 के माध्यम से पुलिस थाना , कांकेर को अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) की जन्म तिथि के बारे में लिखित सूचना दी थी। इसलिए, दाखिल खारिज पंजी (प्र . पी-6) और उसकी फोटो प्रति (प्र . पी-6ए) और अंकसूची (प्र . पी-5) साक्ष्य में ग्राह्य हैं।

15. प्र . पी-6ए, प्र . पी-5 और प्र . पी-7 में, अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) की जन्म तिथि 10-10-1990 उल्लेखित है। सूचना (प्र . पी-1) पुलिस थाना कांकेर को दी गई थी और प्रथम सुचना प्रतिवेदन (प्र . पी-9) पुलिस थाना में 10 सितंबर 2003 को लगभग 5:45 बजे दर्ज की गई थी। प्र . पी-9 में, यह उल्लेखित है कि घटना 10 सितंबर 2003 से 9-10 माह पूर्व घटी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. घटना की तारीख 10 सितंबर 2003 से 9-10 माह पूर्व है और अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) की जन्म तिथि 10 अक्टूबर 1990 है, इसलिए, घटना की तारीख को अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) की आयु 16 वर्ष से कम थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र . पी-9) दर्ज करने की तारीख पर भी वह 16 वर्ष से कम आयु की थी। इसलिए, मैं यह मानने का कोई कारण नहीं देखता कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) वयस्क थी।

17. अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) के कथनों को कंडिका 2 और 6, राजनीबाई (साक्षी क्रमांक 2) के कथन को कंडिका 2 और डॉ. श्रीमती हेमलता साहू (साक्षी क्रमांक 3) के कथनों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (साक्षी क्रमांक 1) के साथ उसकी सहमति से लैंगिक सम्भोग किया था , इसलिए वह लैंगिक सम्भोग के लिए सहमत पक्षकार थी, लेकिन घटना की तारीख पर वह 16 वर्ष से कम आयु की थी। अतः, उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं था और वह अतात्विक थी।

18. पूर्वोक्त कारणों से, मैं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाता हूं और दंड की मात्रा में हस्तक्षेप करने का भी कोई कारण नहीं देखता हूं, इसलिए अपील सारहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है।

19. अपीलार्थी जमानत पर है। वह शेष सजा भुगतने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा। इस निर्णय की एक प्रति सूचना और अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को भेजी जाए।

हस्ताक्षरित/

आर.एस. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....SOORAJ PANDEY